



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13032024-252909
CG-DL-E-13032024-252909

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1198]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 12, 2024/फाल्गुन 22, 1945

No. 1198]

NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 12, 2024/PHALGUNA 22, 1945

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
(दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 फरवरी, 2024

का.आ. 1260(अ).— सेवाओं या प्रसुविधाओं या सहायिकियों के परिदान के लिए पहचान दस्तावेज के रूप में आधार का उपयोग सरकारी परिदान प्रक्रियाओं का सरलीकरण करता है, पारदर्शिता और दक्षता लाता है, तथा फायदाग्राहियों को सुविधाजनक और निर्बाध रीति में उनकी हकदारियों को सीधे ही प्राप्त करने में समर्थ बनाता है और आधार किसी व्यक्ति की पहचान को साबित करने के लिए विभिन्न दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता को समाप्त करता है;

और, भारत सरकार में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग (जिसे इसमें इसके पश्चात् विभाग कहा गया है) दिव्यांगजनों को एक केंद्रीय सेक्टर स्कीम के रूप में सहायक यंत्रों और उपकरणों की खरीद और या फिटिंग के लिए सहायता स्कीम (एडिप) (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है) एक केंद्रीय स्कीम के रूप में प्रशासन कर रहा है, जिसमें राष्ट्रीय संस्थानों, समेकित क्षेत्रीय केंद्रों, भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम (एलिम्को), जिला दिव्यांगजन पुनर्वास केंद्रों, राज्य दिव्यांग विकास निगमों, अन्य स्थानीय निकायों और गैर-सरकारी संगठनों (जिसे इसमें इसके पश्चात् कार्यान्वयन अभिकरण कहा गया है) के माध्यम से पात्र दिव्यांगजनों को टिकाऊ, परिष्कृत और वैज्ञानिक रूप से विनिर्मित, आधुनिक, मानक सहायक यंत्र और उपकरण प्रदान किए जाते हैं।

और इस स्कीम के अधीन, मौजूदा स्कीम और तद्विनिर्देशों के अनुसार कार्यान्वयन अभिकरण द्वारा पात्र दिव्यांगजनों (जिसे इसमें इसके पश्चात् फायदाग्राही कहा गया है) को सहायक यंत्र और सहायक उपकरण प्रदान किए जाते हैं (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्रसुविधा कहा गया है);

और स्कीम के कार्यान्वयन में भारत की संचित निधि से उपगत आवर्ती व्यय अंतर्वलित है ;

अब, इसलिए, आधार (वित्तीय और अन्य सहायकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 7 के अनुसरण में, केंद्रीय सरकार निम्नलिखित अधिसूचित करती है, अर्थात्

1. (1) स्कीम के अधीन प्रसुविधा प्राप्त करने के लिए इच्छुक किसी बालक से यह अपेक्षित होगा कि वह आधार रखने का सबूत प्रस्तुत करे या आधार अधिप्रमाणन करवाए;

(2) इस स्कीम के अधीन प्रसुविधा प्राप्त करने हेतु इच्छुक ऐसे किसी भी बालक, जिसके पास आधार संख्या नहीं है, या जिसने अभी तक आधार के लिए नामांकन नहीं किया है, को इस स्कीम के लिए रजिस्ट्रीकरण करने से पूर्व अपने माता-पिता या अभिभावकों की सहमति के अधधीन आधार नामांकन के लिए आवेदन करना अपेक्षित होगा, परंतु कि वह उक्त अधिनियम की धारा 3 के अनुसार आधार अभिप्राप्त करने का हकदार है, और ऐसा बालक आधार के लिए नामांकित होने के लिए किसी भी आधार नामांकन केंद्र (भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) वेबसाइट www.uidai.gov.in पर सूची उपलब्ध है) पर जाएगा;

(3) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 के अनुसार, मंत्रालय या विभाग को अपने कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से उन फायदाग्राहियों के लिए आधार नामांकन हेतु सुविधाएं प्रदान करना आवश्यक है, जिन्होंने अभी तक आधार के लिए नामांकन नहीं किया है और संबंधित ब्लॉक या तालुका या तहसील में कोई आधार नामांकन केंद्र नहीं होने की दशा में, मंत्रालय या विभाग अपने कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से यूआईडीएआई के विद्यमान रजिस्ट्रारों के समन्वय से या स्वयं यूआईडीएआई रजिस्ट्रार बनकर, सुविधाजनक अवस्थानों पर आधार नामांकन सुविधाएं प्रदान करेगा :

परंतु यह कि जब तक व्यक्ति को आधार नहीं सौंपा जाता है, तब तक निम्नलिखित दस्तावेजों के प्रस्तुत होने के अधीन रहते हुए इस स्कीम के अधीन ऐसे व्यक्तियों को प्रसुविधाएं दी जाएंगी अर्थात्:-

- (क) (i) यदि फायदाग्राही को पांच वर्ष की आयु के पश्चात् नामांकित किया गया था (बायोमेट्रिक्स संग्रहण के साथ), तो उसकी आधार नामांकन पहचान पर्ची, या बायो-मैट्रिक अद्यतन पहचान पर्ची या;
- (ii) फायदाग्राही द्वारा आधार नामांकन के लिए किए गए अनुरोध की एक प्रति; और
- (ख) फायदाग्राही के निम्नलिखित पहचान दस्तावेजों में से कोई एक, अर्थात्-

- i. जन्म प्रमाण पत्र; या समुचित प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म का अभिलेख; या
- ii. विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा सम्यक्तः हस्ताक्षरित स्कूल पहचान पत्र, जिसमें माता-पिता के नाम अंतर्विष्ट है; और
- (ग) वर्तमान स्कीम दिशानिर्देशों के अनुसार माता-पिता या विधिक अभिभावक के साथ फायदाग्राही के संबंध के प्रमाण के रूप में निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई एक, अर्थात्
 - (i) जन्म प्रमाण पत्र; या समुचित प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म का अभिलेख; या
 - (ii) राशन कार्ड; या
 - (iii) भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य स्कीम (ईसीएचएस) कार्ड; या कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) कार्ड; या केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य स्कीम (सीजीएचएस) कार्ड; या
 - (iv) पेंशन कार्ड; या
 - (v) सेना कैप्टिन कार्ड; या
 - (vi) कोई भी सरकारी कुटुंब पात्रता कार्ड; या
 - (vii) मंत्रालय या विभाग द्वारा यथा विनिर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज:

परंतु यह और कि, उपरोक्त दस्तावेजों की उस प्रयोजन के लिए मंत्रालय या विभाग द्वारा विनिर्दिष्ट रूप से अभिहित अधिकारी द्वारा जांच की जाएगी।

2. स्कीम के अधीन फायदाग्राहियों को सुविधाजनक रूप से प्रसुविधाएं प्रदान करने के लिए, मंत्रालय/विभाग अपने कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से यह सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्था करेगा कि फायदाग्राहियों उक्त आवश्यकता के बारे में जागरूक करने के लिए मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार दिया जाएगा।

3. जहां फायदाग्राहियों के खराब बायोमेट्रिक्स के कारण या किसी अन्य कारण से आधार अधिप्रमाणन असफल हो जाते हैं, वहां निम्नलिखित उपचारात्मक तंत्र अंगीकृत किए जाएंगे, अर्थात् –

- (क) खराब फिंगरप्रिंट गुणवत्ता की दशा में, अधिप्रमाणन के लिए आईरिस स्कैन या चेहरे से अधिप्रमाणन सुविधा को अंगीकृत किया जाएगा, और मंत्रालय या विभाग, अपने कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से, निर्बाध रीति से प्रसुविधाओं के परिदान के लिए फिंगर-प्रिंट अधिप्रमाणन के साथ-साथ आईरिस स्कैनर या चेहरे से अधिप्रमाणन के लिए उपबंध करेगा;
- (ख) फिंगरप्रिंट या आईरिस स्कैन या चेहरे से अधिप्रमाणन के माध्यम से बायोमेट्रिक अधिप्रमाणन सफल नहीं होने की दशा में, जहां भी संभव और स्वीकार्य हो, सीमित समय वैधता के साथ यथास्थिति आधार वन टाइम पासवर्ड या समय-आधारित वन-टाइम पासवर्ड द्वारा अधिप्रमाणन, किए जाएंगे;
- (ग) बायोमेट्रिक या आधार वन टाइम पासवर्ड या समय-आधारित वन-टाइम पासवर्ड अधिप्रमाणन संभव नहीं होने की दशा में, स्कीम के अधीन प्रसुविधा वास्तविक (फिजिकल) आधार पत्र के आधार पर दिए जा सकते हैं जिसकी अधिप्रमाणिकता आधार पत्र पर मुद्रित त्वरित प्रतिक्रिया (क्यूआर) कोड के माध्यम से सत्यापित की जा सकती है और त्वरित प्रतिक्रिया कोड रीडर की आवश्यक व्यवस्था मंत्रालय या विभाग द्वारा अपने कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से सुविधाजनक अवस्थानों पर प्रदान की जाएगी।

4. उपर्युक्त में अंतर्विष्ट किसी भी बात के होते हुए भी, कोई भी बालक इस स्कीम के अधीन प्रसुविधा से वंचित नहीं होगा, यदि अधिप्रमाणन के दौरान वह अपनी पहचान स्थापित करने या आधार संख्या रखने के सबूत को प्रस्तुत करने में असफल हो जाता है, या यदि किसी बालक को आधार संख्या दी नहीं गई है तो नामांकन हेतु आवेदन प्रस्तुत करने पर, पैरा 1 के उप-पैरा (3) के परंतुक के खंड (ख) और (ग) में उल्लिखित अनुसार अन्य दस्तावेजों के आधार पर उसकी पहचान सत्यापित करते हुए उसे प्रसुविधा प्रदान की जाएगी और जहां ऐसे अन्य दस्तावेजों के आधार पर प्रसुविधा दी जाती है, वहां उसके अनुरक्षण के लिए एक पृथक रजिस्टर रखा जाएगा, जिसकी समीक्षा और संपरीक्षा आवधिक रूप से मंत्रालय या विभाग द्वारा उसके कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से की जाएगी।

5. यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. पी-13013/24/2023-यूडीआईडी/आईटी/सांख्यिकी]

राजीव शर्मा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

[Department of Empowerment of Persons with Disabilities (Divyangjan)]

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th February, 2024

S.O. 1260(E).—Whereas, the use of Aadhaar as identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly to them in a convenient and seamless manner and Aadhaar obviates the need for producing multiple documents to prove one's identity;

And whereas, the Department of Empowerment of Persons with Disabilities (Divyangjan) Ministry of Social Justice and Empowerment, (hereinafter referred as the Department) in the Government of India is administering the Scheme of Assistance to Persons with Disabilities for Purchase/Fitting of Aids/Appliances (ADIP) as a Central Sector Scheme (hereinafter referred to as the Scheme) wherein durable, sophisticated and scientifically manufactured, modern, standard aids and appliances are provided to eligible Persons with Disabilities implemented through National Institutes, Composite Regional Centres, Artificial Limbs Manufacturing Corporation of India(ALIMCO), District Disability Rehabilitation Centres, State Handicapped Development Corporations, other local bodies and Non-Governmental Organisations(hereinafter referred to as the implementing agencies)

And whereas, under the Scheme, Aids and assistive devices are provided (hereinafter referred to as benefits) is given to eligible persons with disabilities (hereinafter referred to as beneficiaries), by the implementing Agency as per the Schemes and extant guidelines issued thereunder ;

And whereas, the implementation of the Scheme involves recurring expenditure incurred from the Consolidated Fund of India;

Now, therefore, in pursuance of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (*hereinafter referred to as the said Act*), the Central Government hereby notifies the following, namely:-

1. (1) a child desirous of availing the benefit under the Scheme shall be required to furnish proof of possession of the Aadhaar number or undergo Aadhaar authentication.

(2) any child desirous of availing the benefit under the Scheme, who does not possess the Aadhaar number or has not yet enrolled for Aadhaar, shall be required to make an application for Aadhaar enrolment subject to the consent of his parents or guardians, before registering for the Scheme provided he is entitled to obtain Aadhaar as per section 3 of the said Act and such children shall visit any Aadhaar enrolment centre (list available at Unique Identification Authority of India (UIDAI) website www.uidai.gov.in) to get enrolled for Aadhaar.

(3) as per regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the Ministry or Department through its Implementing Agency, is required to offer Aadhaar enrolment facilities for the beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar and in case there is no Aadhaar enrolment centre located in the respective Block or Taluka or Tehsil, the Ministry or Department through its Implementing Agency shall provide Aadhaar enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of UIDAI or by becoming UIDAI Registrar themselves:

Provided that till the time Aadhaar is assigned to the individual, the benefit under the Scheme shall be given to such individuals, subject to the production of the following documents, namely:-

- (a) (i) if the beneficiary was enrolled after the age of five years (with biometrics collection), his Aadhaar Enrolment Identification slip, or of bio-metric update identification slip, or;
- (ii) a copy of the request made for Aadhaar enrolment by the beneficiary; and
- (b) any one of the following identity documents of the beneficiary, namely:-
 - i. Birth Certificate; or Record of birth issued by the appropriate authority; or
 - ii. School identity card, duly signed by the Principal of the school, containing parents' names; and
 - (c) any one of the following documents as proof of the relationship of the beneficiary with the parent or legal guardian as per the extant Scheme guidelines, namely:-
 - (i) Birth Certificate; or Record of birth issued by the appropriate authority; or
 - (ii) Ration Card; or
 - (iii) Ex-Servicemen Contributory Health Scheme (ECHS) Card; or Employees' State Insurance Corporation (ESIC) Card; or Central Government Health Scheme (CGHS) Card; or
 - (iv) Pension Card; or
 - (v) Army Canteen Card; or
 - (vi) any Government Family Entitlement Card; or
 - (vii) any other document as specified by the Ministry or Department:

Provided further that the above documents shall be checked by an officer specifically designated by the Ministry or Department for that purpose.

2. In order to provide benefits to the beneficiaries under the Scheme conveniently, the Ministry/Department through its Implementing Agency shall make all the required arrangements to ensure that wide publicity through media shall be given to the beneficiaries to make them aware of the said requirement.

3. Where Aadhaar authentication fails due to poor biometrics of the beneficiaries or due to any other reason, the following remedial mechanisms shall be adopted, namely:-

- (a) in case of poor fingerprint quality, an iris scan or face authentication facility shall be adopted for authentication and the Ministry or Department through its Implementing Agency shall make provisions for iris scanners or face authentication along with fingerprint authentication for delivery of benefits in a seamless manner;
- (b) in case the biometric authentication through fingerprints or iris scan or face authentication is not successful, wherever feasible and admissible authentication by Aadhaar One Time Password or Time-based One-Time Password with limited time validity, as the case may be, shall be offered;
- (c) in all other cases where biometric or Aadhaar One Time Password or Time-based One-Time Password authentication is not possible, benefits under the Scheme may be given on the basis of a physical Aadhaar

letter whose authenticity can be verified through the Quick Response code printed on the Aadhaar letter and the necessary arrangement of Quick Response code reader shall be provided at the convenient locations by the Ministry or Department through its Implementing Agency.

4. Notwithstanding anything contained herein above, no child shall be denied benefit under the Scheme in case of failure to establish his identity by undergoing authentication, or furnishing proof of possession of Aadhaar number, or in the case of a child to whom no Aadhaar number has been assigned, producing an application for enrolment, the benefit shall be given to him by verifying his identity on the basis of other documents as mentioned in clauses (b) and (c) of the proviso of sub-paragraph (3) of paragraph 1, and where the benefit is given on the basis of such other documents, a separate register shall be maintained to record the same, which shall be reviewed and audited periodically by the Ministry or Department through its Implementing Agency.
5. This notification shall come into effect from the date of its publication in the Official Gazette in all the States and Union territories.

[F. No. P-13013/24/2023-UDID/IT/STATISTICS]

RAJEEV SHARMA, Jt. Secy.